



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ 16, 1939

No. 1923]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ ASADHA 16, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

**विषय:** आईएस 16333 (भाग-3):2016 - मोबाइल फ़ोनों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट को अनिवार्य करने हेतु तारीख का बढ़ाया जाना।

**का.आ. 2159(अ).—** जबकि भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएस 16333 (भाग-3) के अनुसार मोबाइल फ़ोनों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट को अनिवार्य करने हेतु आदेश जारी किया है, और जबकि आदेश के अनुपालन संबंधी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, और जबकि इन समस्याओं का समाधान कराने और आदेश के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए उद्योग को मदद करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना को आदेश के क्रम में जारी किया जाता है।

2. तारीख का विस्तार :

उपरोक्त आदेश के प्रभाव में आने की तिथि को 1 अक्टूबर, 2017 तक विस्तारित माना जाए।

**नोट:** प्रधान आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. संख्या 2034(अ) के जरिए, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 के का.आ. 3022(अ) के जरिए, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905(अ) के जरिए दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345(अ) के जरिए, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638(अ) के जरिए और दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का.आ. 3509(अ) के जरिए संशोधित किया गया।

[फा. सं. 8(81)2015-आईपीएचडब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

---

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****ORDER**

New Delhi, the 29th June, 2017

**Subject: Extension in date for mandating IS 16333 (Part 3): 2016 – Indian Language Support for Mobile Phones**

**S.O. 2159(E).**—Whereas Government of India, MeitY has issued the Order for mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3), and whereas certain issues have arisen with regard to compliance to the Order, and whereas to address these issues and to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

2. Extension in date:

The date of coming into effect of the aforesaid Order stands extended to 1<sup>st</sup> October, 2017.

**Note:** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3<sup>rd</sup> October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5<sup>th</sup> July, 2013, S.O 3022 (E) dated 4<sup>th</sup> October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13<sup>th</sup> November, 2014, S.O. 345 (E) dated 3<sup>rd</sup> February, 2016, S.O 638(E) dated 10<sup>th</sup> February, 2016 and S.O. 3509(E) dated 24<sup>th</sup> October, 2016.

[F. No. 8 (81)2015-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.